कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

Email ID – cglc2012@gmail.com, Phone - 0771-2443515/16

क्रमांक / 238 / भण्डार–12 / श्र.आ. / 2024–25 /3700, रायपुर, दिनांक 10/06/2024,

श्रमायुक्त संगठन हेतु शासकीय कार्य उपयोगार्थ वाहनों को दैनिक, मासिक दर पर किराये पर लिये जाने हेतु दर निर्धारण, इम्पैनलमेंट हेतु आवश्यक शर्ते

नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र तथा अंन्य निविदा शर्तें इस कार्यालय से रूपये 500/– की निविदा प्रपत्र मूल्य (Non refundable) के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर** के नाम से जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक जिसकी शाखा रायपुर, छ0ग0 में देय हो, जमा करके अथवा निविदाकार कार्यालय श्रमायुक्त में उपस्थित होकर राशि रूपये 500/– नगद जमा कर निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।
2. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि रूपये 1,00,000/– जमा करना आवश्यक होगा। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदा स्वीकार नही की जावेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर निर्धारित तिथि आगामी कार्यदिवस हेतु स्वतः बढ़ी हुई मानी जावेगी।
4. सशर्त निविदा अमान्य की जावेगी। कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाएं स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा एवं किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी भी प्रकार के पोस्टल विलंब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।
5. निविदाकार विभागीय वेब–साईट www.cglabour.nic.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकेगे तथा ऐसे निविदाकारों को उपरोक्त 4 में किये गये उल्लेख के अनुसार निविदा के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य 500/– का डिमांड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।
6. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. सम्मिलित है, जिसमें वाहन चालक सहित पेट्रोल/डीजल वाहल मालिक द्वारा देय होगा।
7. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और निविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

8. प्रतिमाह किराया दर में वाहन 1200/2000 कि.मी. चलित सम्मिलित है, जिसमें वाहन चालक सहित पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।

9. वाहन प्रतिदिन दर में 100 कि.मी. या प्रतिमाह दर में 1200/2000 कि.मी. चलने के उपरांत प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा ।

10. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।

11. वाहन टेक्सी के रूप में परिवहन विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है। वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार अद्यतन होना आवश्यक होगा। वाहन का रोड टैक्स/ बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान पक्षकार क्रमांक – 2 द्वारा किया जावेगा। वाहन का परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए।

12. प्रथम बार वाहन उपलब्ध कराते समय मासिक देयक के साथ वाहन का फिटनेस, वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग से नियमानुसार पंजीकृत, वाहन का पंजीयन, रोड टैक्स एवं बीमा आदि के कागजात संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

13. मासिक दर पर वाहन किराये पर लेने संबंधी किसी भी प्रकार का एडवांस कार्यालय श्रमायुक्त छ0ग0 द्वारा देय नही होगा।

14. वाहन का भुगतान मासिक दर पर होगा एवं भुगतान लॉग बुक एवं ड्यूटी स्लिप, जिस पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे उसी आधार पर होगा।

15. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन/भत्ता आदि) संबंधित पक्षकार क्रमांक – 2 द्वारा देय होगा। वाहन चालक के अवकाश या अस्वस्थ होने पर पक्षकार क्रमांक – 2 को तत्काल दूसरे अर्हता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व पक्षकार क्रमांक – 2 का होगा।

16. निविदाकार को 12 घंटे वाहन चालक की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा एवं वाहन अनुबंध अवधि में श्रमायुक्त के अधीन होगा ।

17. वाहन की मरम्मत, नियमित रख–रखाव, दुर्घटना दावा एवं समस्त अन्य खर्चे पक्षकार क्रमांक – 2 द्वारा देय होगा। इसके लिये कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में पक्षकार क्रमांक – 2 को तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व पक्षकार क्रमांक – 2 का होगा। किराये पर उपलब्ध कराया गया वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।

18. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा। उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।
19. देयक तीन प्रतियों में मय लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान समयावधि में चेक के माध्यम से किया जावेगा। पक्षकार क्रमांक – 2 अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य एजेंसी से वाहन प्राप्त किया जावेगा।
21. शर्तो का उल्लंघन करने या विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय/निराकरण श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा किया जावेगा, जो पक्षकार क्रमांक – 2 को मान्य होगा।
22. किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्णतः अधिकार श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पास सुरक्षित होगा।
23. उक्त निविदा में सफल होने वाले एजेसी को दर्शायी गयी शर्तो के आधार पर अनुबंध किया जाना होगा।
24. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अपात्र (Black List) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा। किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
25. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।
26. परिशिष्ट – (अ एवं ब) तथा परिशिष्ट – (स) दो अलग–अलग बंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजों के साथ जमा किया जावे।
27. निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।
28. उक्त निविदा की वैधता 02 वर्ष तक मान्य होगी। कार्य संतोषजनक होने पर ही उभय पक्षों की सहमति की स्थिति में अनुबंध अवधि 02 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।
29. समस्त विवादों का एक मात्र न्यायिक क्षेत्र रायपुर छ0ग0 होगा।

30. निविदा की शर्तो को शिथिल करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

31. निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूपेण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

32. निविदाकर्ता द्वारा दिये जाने वाले दर पर उन्हें राज्य के किसी भी जिले में निर्देशानुसार उसी दर पर वाहन उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

33. सफल निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया जावेगा तथा वाहन चालक शिक्षित, यातायात नियमो का ज्ञान रखने वाला, व्यवहारकुशल हो एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना जरूरी होगा।

34. वाहनों को कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक दर पर किराये पर लेने के समय यदि वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा। कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नहीं।

35. टोल शुल्क, प्रवेश शुल्क, पार्किंग शुल्क, परिमिट शुल्क वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

36. मासिक दर पर लिये जाने वाले वाहन में GST शामिल होगा। GST प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही GST का भुगतान किया जावेगा अन्यथा नहीं। GST प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर किराये के वाहन के लिये निर्धारित प्रतिशत के मान से GST की कटौती की जाकर मासिक देयक का भुगतान किया जावेगा।

37. जिस निविदाकार से वाहन आपूर्ति की अनुबंध की जावेगी उसके द्वारा उल्लेखित शर्त अनुरूप मासिक दर पर उपलब्ध कराये गये वाहन का स्तर निर्धारित मापदंड से निम्न होने, वाहन में लॉक बुक नही होने, आवश्यकतानुसार वाहन का रख–रखाव नही करने आदि की स्थिति में कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा अनुबंधित संस्थान के देयक से नियमानुसार मूल्यांकन कर कटौती की जावेगी।

38. यदि किन्ही कारणों से सफल निविदाकार के स्टॉफ की दुर्घटना के दौरान चोट/हानि होती है, ऐसी स्थिति में वह कार्य के योग्य नही होगा तो स्टॉफ के अवकाश/चिकित्सा आदि अन्य व्यय वाहन आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।

39. यदि वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक का कार्य के दौरान गुटखा, तंबाखू, धुम्रपान, पान, मदिरा एवं अन्य अनियमित कार्य करते हुए पाये जाने पर तत्काल निविदा बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

40. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी इम्पैनल्ड एजेंसी से लेने का अधिकार श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर अटल नगर के पास सुरक्षित रहेगा।

41. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा अन्य इम्पैनल्ड एजेंसी से वाहन प्राप्त किया जायेगा।

42. अनुबंध अवधि में यदि पेट्रोल/डीजल के दर/टैक्स/जीएसटी में वृद्धि होने पर बढ़े हुए दर के भुगतान का दायित्व वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी।

43. किराये की अवधि में वाहन आबंटित अधिकारी के आधिपत्य में रहेगा तथा फर्म के द्वारा अपने निजी प्रयोजन अथवा कार्यालय से हटकर अन्य कार्य हेतु वाहन का उपयोग किया जाता है. तो तत्काल प्रभाव से वाहन हटा दिया जावेगा।

44. वाहन का उपयोग अवकाश दिवसों पर भी किया जावेगा। यदि उक्त दिवसों पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मासिक दर के आधार पर प्रति दिवस राशि की गणना कर कटौती की जावेगी।

45. फर्म के द्वारा वाहन चालक के संबंध में जानकारी (आधारकार्ड, वैध ड्रायविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति) उपलब्ध करायी जाए। वाहन चालक यातायात नियमों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। कम से कम 03 वर्ष वाहन चलाने का अनुभव हो तथा वाहन चालक के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक / दुर्घटना प्रकरण दर्ज न हो।

46. देयक के भुगतान में नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती की जावेगी।

47. उपयोग किए जाने वाले वाहन के प्रकार का निर्धारण करने का अधिकार कार्यालय को होगा।

48. वाहनों के दरों के निर्धारण पश्चात् फर्म द्वारा राशि 1,00,000/- रू. का सावधि जमा, किराये से वाहन प्राप्त करने वाले अधिकारी के पदनाम से धरोहर/अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। उक्त फर्म का वाहन जब तक कार्यालय में उपयोग किया जाएगा, तब तक उक्त राशि जमा रहेगी। फर्म के द्वारा कार्यालय से वाहन हटाये जाने के पश्चात् ही अमानत राशि फर्म को वापस की जावेगी। शर्त के उल्लंघन पर अमानत राशि जब्त किया जायेगा।

49. मासिक किराया दर में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. चलित दौरा सम्मिलित है. जिसमें पेट्रोल/डीजल फर्म के द्वारा देय होगा। मासिक 2000 कि.मी. से अधिक चलने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त किराया देय होगा।

50. वाहन में फास्टेग की सुविधा अनिवार्य होगी तथा इसका रिचार्ज अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।

<u>तकनीकी शर्त/विशेषता :-</u>

1. धरोहर राशि रूपये 1,00,000/- संबंधी एफ.डी.आर. जो **श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर** के नाम देय होगा।
2. एक मुख्य सील बंद लिफाफे के अंदर दो अलग-अलग लिफाफे -1. तकनीकी प्रस्ताव (Technical Bid) 2. वित्तीय प्रस्ताव (Price Bid) होना चाहिए। उक्त मुख्य सील बंद लिफाफे के ऊपर **"श्रमायुक्त संगठन हेतु वाहन किराये पर लिये जाने के लिए निविदा"** लिखा हो तथा निविदाकर्ता का फर्म का नाम एवं पता अंकित होना चाहिए।
3. तकनीकी विशेषताओं(Technical Bid) संबंधी दस्तावेज परिशिष्ट-'अ' एवं परिशिष्ट-'ब' के साथ पृथक लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे एवं लिफाफे के ऊपर "तकनीकी विशेषताएं संबंधित दस्तावेज (Technical Bid) अंकित किया जाना अनिवार्य है।
4. वित्तीय दर (परिशिष्ट-'स') संबंधी लिफाफा भी पृथक से प्रस्तुत किया जावे, जिस पर वाहनों के प्रस्तावित किराया दर (price Bid) अंकित किया जाना अनिवार्य है। अमानत राशि तथा वाहनों की तकनीकी विशेषताओं (Technical Bid) से संतुष्ट होने पर ही किराया दर (Price Bid) संबंधी लिफाफा आगामी कार्यवाही हेतु सम्मिलित किया जावेगा।
5. निविदाकार का स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम से कम से कम 10 वाहनों का पंजीयन होना आवश्यक है, जो वर्ष 2021 में अथवा इसके उपरांत पंजीयन हो। इस संबंध में वाहन की सूची एवं पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, रोड टैक्स संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न किया जावेगा।
6. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन निविदा तिथि से 01 साल से अधिक पुरानी नही होनी चाहिए, जिसकी सूची एवं पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, रोड टैक्स संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा अथवा नवीन वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के दस्तावेज /अभिलेख आवश्यक नहीं होंगे।

7. न्यूनतम 05 वर्ष शासकीय विभाग में कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, जिसके संबंध में विभाग के साथ अनुबंध की छायाप्रति/कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न किया जावे।

8. उक्त निविदा में भाग लेने वाले संस्थान/पार्टी (ट्रेवल्स एजेंसी) की विगत तीन वर्षो की न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर रूपये 50 लाख जो प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखा रिपोर्ट (Including Balance Sheet) जो किसी Charted Accountant द्वारा प्रमाणित हो, जमा की जानी है।

9. निविदाकर्ता फर्म का ESIC एवं कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में पंजीयन होना आवश्यक है।

10. निविदाकर्ता फर्म को विगत 03 वर्षों के INCOME TAX RETURN की प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।

11. निविदाकर्ता फर्म को विगत वर्ष का GST Clearance Certificate (GSTR-1 एवं GSTR-3B) की प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।

12. वाहन टेक्सी के रूप में परिवहन विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होने संबंधी दस्तावेज, वाहन का परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होने संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति आवश्यक अभिलेख निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा । (नवीन वाहन उपलब्ध कराने की दशा निविदा सफल होने पर वाहन उपलब्ध कराते समय दस्तावेज उपलब्ध कराया जावेगा) मूल दस्तावेज वाहन उपलब्ध कराते समय अवलोकन कराना होगा।

13. सेवा कर, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेवल्स एजेंसी का परिवहन विभाग द्वारा जारी ट्रेवल्स लाईसेंस एवं आयकर विभाग के अंतर्गत जारी पेन/टेन संबंधी दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।

14. उक्त निविदा में भाग लेने वाले एजेंसी का किसी भी शासकीय अथवा निजी संस्थान द्वारा Black list नहीं किये जाने तथा किसी प्रकार के लंबित आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना, सी0आई0डी, सी0बी0आई0 में दर्ज नहीं होने संबंधी एकल शपथ पत्र निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।

(डी0पी0 तिवारी)
उप श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर
अटल नगर

परिशिष्ट –अ

वाहन किराये पर लिये जाने के लिए निविदा(इम्पैनल्ड) हेतु तकनीकी शर्त
श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़
(यह जानकारी पृथक लिफाफे में रखा जावे)
कंपनी द्वारा निम्नानुसार विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जावे –

1	फर्म / कंपनी का नाम			
2	फर्म / कंपनी का पता			
3	मोबाईल नंबर			
4	टेलीफोन नंबर (STD कोड सहित)			
5	ई–मेल(संबंधित व्यक्ति का)			
6	पेन नं. / टेन नं.(दस्तावेज संलग्न करे।)	☐ हॉ ☐ नही पेन नंबर –	टेन नंबर–	
7	निविदा प्रपत्र मूल्य जमा करने संबंधी रसीद / डी.डी. (संलग्न करें)	☐ रसीद	☐ डिमांड	
8	धरोहर राशि (एफडीआर संलग्न करें)	रूपये 1,00,000 / –	☐ हॉ	☐ नही
9	परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त ट्रेवल्स लाईसेंस (दस्तावेज संलग्न करे)	☐ हॉ	☐ नही	
10	वार्षिक आय / व्यय का विगत 03 वित्तीय वर्ष का विवरण (दस्तावेज संलग्न करे)	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23
11	GST पंजीयन नंबर (दस्तावेज संलग्न करे)	☐ हॉ	☐ नही	
12	03 वर्ष के टर्न ओवर सबंधी सी.ए. का प्रमाण पत्र (संलग्न करें)	☐ हॉ	☐ नही	

13	निविदाकार का स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम पर उपलब्ध 10 वाहन का विवरण, जिसका वर्ष 2021 में अथवा इसके उपरांत का पंजीयन हो

क्र	वाहन का प्रकार	वाहन का मॉडल वर्ष
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

14	क्रमांक 13 मे उल्लेखित वाहन के पंजीयन / रोड टैक्स / बीमा / परमिट / फिटनेस संबंधी (दस्तावेज संलग्न करे)

क्र	वाहन पंजीयन क्र.	रोड टैक्स (हॉ / नही)	बीमा (हॉ / नही)	परमिट अवधि	फिटनेस अवधि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

क्र.	विवरण	क्र	वाहन का प्रकार	वाहन का मॉडल वर्ष
15	निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 05 वाहन का विवरण (निविदा तिथि से 01 वर्ष पुराने वाहन स्वीकार नही होंगे, यदि नवीन वाहन उपलब्ध कराया जावेगा तो उल्लेख करे)			

क्र.	विवरण	क्र	वाहन पंजीयन क्र.	रोड टैक्स (हॉ/नही)	बीमा (हॉ/नही)	परमिट अवधि	फिटनेस अवधि
16	उपलब्ध कराये जाने वाले 05 वाहन के पंजीयन/रोड टैक्स/बीमा/ परमिट/ फिटनेस संबंधी (दस्तावेज संलग्न करे)						

क्र.	विवरण		
17	ESIC एवं कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में पंजीयन संबंधी दस्तावेज संलग्न करें	☐ हॉ	☐ नही
18	GST Clearance Certificate (GSTR-1 एवं GSTR-3B) की प्रमाणित प्रति संलग्न करें	☐ हॉ	☐ नही
19	INCOME TAX RETURN की प्रमाणित प्रति संलग्न करें विगत 03 वित्तीय वर्ष का विवरण	☐ हॉ	☐ नही
20	न्यूनतम 05 वर्ष शासकीय विभाग में कार्य के अनुभव के संबंध में विभाग के साथ अनुबंध	☐ हॉ	☐ नही
21	शासकीय अथवा निजी संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किये जाने तथा किसी प्रकार के	☐ हॉ	☐ नही

क्र.	विवरण	क्र	नाम	पदनाम	पता एवं मो.नं.
22	इस निविदा में शामिल होने से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम/पदनाम/पता/मो.नं.				

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम – ....

पदनाम – ....

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

कंपनी/फर्म का नाम – ....

कंपनी/फर्म की सील – ....

//परिशिष्ट–ब//

घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत् प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के द्वार मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black list) सूचीबद्ध नहीं है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/फर्म का नाम

नाम – ....

पता – ....

मो.न. – ....

(नोट – उपरोक्त घोषणा पत्र में दर्शित नियम एवं शर्तो को निविदाकर्ता द्वारा राशि रूपये 100/– के स्टॉम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।)

परिशिष्ट–"स"
प्रारूप–1 दैनिक दर

क्र	वाहन का विवरण	विवरण	प्रस्तावित दर (राशि रूपये में समस्त कर सहित)
1	2	3	4
1	Innova/Mahindra XUV700/Tata Harrier/Tata Safari	प्रतिदिवस 100 किलोमीटर तक	
		प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी	
2	Honda City/ MG Hactor/ Hyundai Creta/Kia Seltos/Scorpio/Skoda Kuf/ Volkswagen Taigun	प्रतिदिवस 100 किलोमीटर तक	
		प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी	
3	Maruti ciaz/Hyundai Verna/Volkswagen Virtus/Mahindra Bolero	प्रतिदिवस 100 किलोमीटर तक	
		प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी	
4	Maruti Ertiga /Maruti XL6/ Maruti Brezza/ Grand Vitara	प्रतिदिवस 100 किलोमीटर तक	
		प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी	
5	Maruti Dzire/Honda Amaze/Tata Nexon	प्रतिदिवस 100 किलोमीटर तक	
		प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी	

प्रारूप–2 मासिक दर

क्र	वाहन का विवरण	विवरण	प्रस्तावित दर (समस्त कर सहित)	
			1200 कि.मी. तक मासिक दर (रूपये में)	2000 कि.मी. तक मासिक दर (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	Innova/Mahindra XUV700/Tata Harrier/Tata Safari	मासिक दर		
		मासिक की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.		
2	Honda City/ MG Hactor/ Hyundai Creta/Kia Seltos/Scorpio/Skoda Kuf/ Volkswagen Taigun	मासिक दर		
		मासिक की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.		
3	Maruti ciaz/Hyundai Verna/Volkswagen Virtus/Mahindra Bolero	मासिक दर		
		मासिक की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.		
4	Maruti Ertiga /Maruti XL6/ Maruti Brezza/ Grand Vitara	मासिक दर		
		मासिक की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.		
5	Maruti Dzire/Honda Amaze/Tata Nexon	मासिक दर		
		मासिक की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.		

टीप :– उपलब्ध कराये जा रहे किराये के वाहन का मासिक/प्रतिदिवस दर/मासिक–प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2024 दिनांक 07.06.2024 के परिशिष्ट–''अ'' में दर्शाये गये राशि से अधिक न हो।